संख्या–152 / पॉच–9–2015–9(127) / 12

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव,
बाल विकास,पंचायती राज,बेसिक शिक्षा, नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2– निदेशक,राज्य सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2015**

विषयः–प्रदेश में मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधार व बाल कुपोषण में कमी लाने तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम के सघन अभियान हेतु आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधार व बाल कुपोषण में कमी लाने तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम के सघन अभियान हेतु निम्नलिखित पॉच शासनादेश निर्गत किये गये है :–

(i) संख्या–142 / पांच–9–2015–9(127) / 12 दिनांक 27 जनवरी, 2015
(ii) संख्या–143 / पांच–9–2015–9(127) / 12 दिनांक 27 जनवरी, 2015
(iii) संख्या–144 / पांच–9–2015–9(127) / 12 दिनांक 27 जनवरी, 2015
(vi) संख्या–145 / पांच–9–2015–9(127) / 12 दिनांक 28 जनवरी, 2015
(v) संख्या–146 / पांच–9–2015–9(127) / 12 दिनांक 28 जनवरी, 2015

2– उपरोक्त सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में अभियान के कियान्वयन से जुडे सम्बन्धित विभागो के प्रमुख सचिवो तथा प्रदेश के समस्त जनपद के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श हेतु दिनांक 30–01–2015 को अपरान्ह 12:15 बजे से 02:00 बजे तक वीडियो कान्फ्रेसिंग कार्यकम निर्धारित किया गया है।

3– अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त शासनादेशो को वीडियो कान्फ्रेसिंग के पूर्व अवलोकन करके निर्धारित वीडियो कान्फ्रेसिंग कार्यकम में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या–152(1)/पाँच–9–2015 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव/निजी सचिव मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।

3 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

4 मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।

5 अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उ0प्र0, लखनऊ।

6 अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, उ0प्र0।

7 एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, उपरोक्त वीडियो कान्फ्रेसिंग के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

2– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2015

विषयः–परिवार नियोजन कार्यक्रम की गतिविधियों की समीक्षा एवं सक्रिय क्रियान्वयन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा आगामी 03 माह में मातृ शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एक अभियान के रूप में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाना है। मातृ तथा शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिए आवश्यक है कि सकल प्रजनन दर में कमी लाने की ओर विशेष ध्यान देते हुए ठोस कदम उठाये जायें क्योंकि यह तीनों एक श्रृंखला क्रम में एक दूसरे से जुड़े हैं। अधिक बच्चे, कम उम्र तथा कम अन्तराल पर होना सीधे तौर पर मातृ मृत्यु तथा शिशु मृत्यु को प्रभावित करता है। विश्लेषणों के अनुसार 50 लाख पात्र दम्पत्तियों के परिवार नियोजन की किसी भी विधि को अपनाने से लगभग 12 लाख शिशु मृत्यु तथा 35 हजार मातृ मृत्यु को रोका जा सकता है।

2– इस सम्बन्ध में यह भी विदित है कि जुलाई, 2012 में आयोजित लन्दन सम्मेलन में विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिन्ता व्यक्त की गयी। इस सम्मेलन में भारत सहित 150 से अधिक देशों द्वारा प्रतिभागिता की गयी। सामूहिक रूप से लिये गये निर्णय के अनुसार भारत के लिए वर्ष 2020 तक 04 करोड़ नये परिवार नियोजन साधनों के उपयोग करने वाले दम्पत्तियों का कार्यभार निर्धारित किया गया है, जिसका 26 प्रतिशत् उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त किया जाना है। तद्नुसार वर्ष 2020 तक उत्तर प्रदेश हेतु अपेक्षित कार्यभार निम्नानुसार है:–

- 124 लाख अतिरिक्त दम्पत्तियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम की सेवायें उपलब्ध कराना।
- 126 लाख वर्तमान दम्पत्तियों को दी गयी परिवार नियोजन सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखना।

3– विगत् वर्षो में परिवार नियोजन कार्यक्रम में उपलब्धि की स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में माह दिसम्बर 2014 तक परिवार नियोजन कार्यक्रम की विभिन्न विधियों की उपलब्धि निम्नवत् है:–

क्रम सं.	विधि	वार्षिक कार्यभार	उपलब्धि	प्रतिशत्
1.	नसबन्दी	9,70,000	1,41,560	14.59%
2.	कॉपर–टी	26,10,967	9,57,900	36.69%
3.	कण्डोम प्रयोग कर्ता	20,03,382	9,01,292	44.99%
4.	ओरल पिल्स प्रयोग कर्ता	9,87,933	2,61,091	26.43%

4— वर्ष 2000 में प्रदेश की जनसख्या नीति के अनुसार सकल प्रजनन दर 3.8 को घटाकर वर्ष 2010 तक 2.1 तक लाने का लक्ष्य था, परन्तु वर्तमान में सकल प्रजनन दर 3.1 ही है। एस.आर.एस. 2013 के सर्वेक्षण के आधार पर पूरे देश में कुल छत्तीस राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से चौबीस राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपलेसमेंट दर 2.1 प्राप्त कर ली है। वार्षिक हैल्थ सर्वे 2012—13 के अनुसार उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवाओं की अनापूरित माँग 29 प्रतिशत् है, जिसकी पूर्ति उपलब्ध सरकारी संसाधनों के माध्यम से की जा सकती है।

5— उक्त के दृष्टिगत मातृ शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अपने नेतृत्व में पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ लागू कराना आवश्यक है, इस हेतु निम्नवत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:—

5.1 गर्भ निरोधक सेवाओं सम्बन्धी

5.1.1 गर्भ निरोधक अस्थायी विधियाँ सुनिश्चित किया जाना —

- निःशुल्क अस्थायी गर्भ निरोधन उपाय जिला स्तरीय सेवा केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उससे उच्चतर केन्द्रों पर उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से नीचे स्तर पर आशा द्वारा सामाजिक विपणन व्यवस्था के तहत निर्धारित शुल्क पर लक्ष्य दम्पत्तियों को ओरल पिल्स/कण्डोम का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
- अस्थायी विधियों के अंतर्गत सेवाकेंद्रों पर कॉपर टी 380 का निःशुल्क निवेशन जो 10 वर्ष तक प्रभावी होती है को प्रोत्साहित किया जाए।
- सभी सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों पर मानक अनुसार अस्थायी गर्भनिरोधक विधियाँ एवं अंतराल आई0यू0सी0डी0 निवेशन सेवायें सुनिश्चित की जाए।
- अन्तराल विधियों की पहुँच समुदाय तक बढ़ाने हेतु "आशा" कार्यकत्रियों के माध्यम से गर्भनिरोधक सामग्रियों (कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियाँ तथा आकस्मिक गर्भनिरोधक गोलियाँ) को लाभार्थियों के द्वार तक वितरण की व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये। सेवाकेन्द्रों पर गर्भनिरोधक सामग्री की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता आशा के प्रतिवेदन प्रपत्र 'ए' संलग्नक—1 के अनुसार सुनिश्चित की जाए।
- आशा द्वारा विलेज हैल्थ इण्डेक्स रजिस्टर (वी0एच0आई0आर0) तथा ए.एन.एम. द्वारा उपकेन्द्र पर लक्ष्य दम्पत्ति रजिस्टर (ई0सी0आर0) को नियमित रूप से अधुनान्त किया जाए।
- प्रसव पश्चात आई0यू0सी0डी0 निवेश : जिला महिला चिकित्सालयों तथा प्रथम सन्दर्भन इकाईयों पर जहाँ प्रशिक्षित सेवा प्रदाता उपलब्ध हैं, प्रसव पश्चात् आई0यू0सी0डी0 निवेशन की सेवायें सुनिश्चित की जायें तथा सेवा प्रदातावार पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेश की रिपोर्ट प्रेषित करना भी सुनिश्चित किया जाए।

5.1.2 गर्भ निरोधक स्थायी विधियों हेतु शिविर (कैम्प) का आयोजन

महिला नसबंदी के कार्यभार की पूर्ति हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महिला नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जाना है। यह शिविर विकास खंड स्तर पर संलग्नक 2 के अनुसार आयोजित किये जाने हैं।

उक्त कैम्पों हेतु विश्लेषण कर जनपद के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाये जहाँ समुदाय के मध्य परिवार नियोजन सेवाओं की माँग है, परन्तु उन तक परिवार नियोजन सेवायें नही पहुँच पा रही है, एक रणनीति विकसित कर दूरस्थ व असेवित क्षेत्रों तक नसबन्दी सेवाओं को सुनिश्चित कर नसबन्दी शिविरों के कैलेण्डर को विकसित किया जाए। हर संभव प्रयास किया जाए कि इन शिविरों की जानकारी जन–जन तक प्रसारित हो ताकि लाभार्थी इनका पूर्णतः उपयोग कर सकें। इन शिविरों में समस्त उपकरण तथा आपरेशन थियेटर की सुव्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सर्जन टीम प्रातः 10 बजे तक निश्चित रूप से पहुँच जाए। जिला महिला चिकित्सालयों पर प्रसव पश्चात् नसबन्दी की सेवायें सुनिश्चित की जायें।

- नियत दिवस पर नसबंदी सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रति महिला नसबन्दी शिविर हेतु रु0 2000/– की दर तथा पुरूष नसबन्दी शिविर हेतु रु0 3500/– की दर से प्रावधानित किया जा रहा है। इस धनराशि का उपयोग जनपद में प्रचार–प्रसार (कैंप कैलेंडर के पैंफलेट, लाउडस्पीकर द्वारा माइकिंग, बैनर, दीवार लेखन आदि), शिविर व्यवस्था (जैसे– लाभार्थियों हेतु दरी, गद्दा, साफ चादर, कंबल, कुर्सी, पी0ओ0एल0 आदि) एवं आवश्यकतानुसार लाभार्थियों को शिविर स्थल तक लाने/ शिविर स्थल से घर तक ले जाने हेतु किया जा सकता है।
- शिविर की गणना तभी की जा सकेगी जब नियत दिवस पर महिला नसबन्दी शिविर में 25–30 केस सफलतापूवक किए गए हों, इसी प्रकार पुरूष नसबन्दी शिविर की गणना में शिविर में 5–10 केस किए जाने आवश्यक हैं।
- इस कार्य हेतु हितग्राही की काउंसलिंग अवश्य करें और संबंधित रिकार्ड को पृथक रजिस्टर पर तैयार किया जाए। प्रत्येक शिविर को 5 काउंटर एप्रोच के आधार पर आयोजित किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, स्क्रीनिंग, पैथोलॉजी, पेमेंट हेतु काउंटर पृथक से बनाए जाएँ, साथ ही उनका विधिवत डिस्प्ले शिविर स्थल पर अवश्य कराया जाए। लाभार्थी के क्षतिपूर्ति भुगतान उसके घर जाने से पूर्व प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- इन शिविरों के आयोजन के अंतर्गत महिला की पूर्ण जांच, काउंसिलिंग, लैब इन्वेस्टीगेशन एवं अन्य गर्भ निरोधन सेवाएँ भी उलब्ध कराई जाएँ।

पुरुषों की सहभागिता बढ़ाने हेतु जनपदों में एन0एस0वी0 शिविरों का आयोजन: प्रत्येक जनपद में एन0एस0वी0 शिविरों का आयोजन किया जाना है। प्रत्येक शिविर में सेवा प्रदाता एवं लाभार्थियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। शिविर आयोजन हेतु उपरोक्त वर्णित व्यवस्था पुरूष नसबन्दी शिविरों में लागू किया जाना सुनिश्चित की जाए।

5.1.3 नियत दिवस पर स्वास्थ्य ईकाईयों पर परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना –

- प्रदेश के समस्त जिला महिला चिकित्सालयों में महिला नसबंदी की सेवाएँ प्रतिदिन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे संयुक्त चिकित्सालय/पी0पी0सी0 व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर सर्जन/स्त्री रोग विशेषज्ञ/महिला चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं, पर सप्ताह में 2 दिन

(मंगलवार व शुक्रवार) महिला नसबंदी की सेवाएँ "नियत दिवस नसबंदी सेवाओं" के अंतर्गत आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाएँगी। नियत दिवस सेवाओं का विभिन्न प्रचार माध्यमों से समुदाय में प्रचार–प्रसार भी किया जाएगा। नियत दिवसों पर संपादित होने वाले नसबंदी केसों का एक अलग रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसमें लाभार्थी व नसबंदी करने वाले सर्जन का नाम आवश्यक रूप से अंकित होगा।

- इसी प्रकार "नियत दिवस एन0एस0वी0 सेवाएँ" प्रत्येक जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय व प्रथम संदर्भन इकाइयों पर प्रदान की जाएँगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ परामर्श के अनुसार एन0एस0वी0 सेवाओं हेतु एक दिन नियत किया जाएगा। विभिन्न प्रचार माध्यमों से इन सेवाओं का प्रचार–प्रसार किया जाएगा। सेवाप्रदाता न होने की दशा में एन0एस0वी0 सेवाओं हेतु चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने हेतु आवश्यक प्रयास किए जाएँगे।
- प्रत्येक उपकेन्द्र पर ए.एन.एम. द्वारा नियत दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) पर आई.यू.सी.डी. सेवा उपलब्ध काराई जाये।

5.2 परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श सेवाएं

- नसबन्दी शिविरों में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ–साथ "आशा" कार्यकत्रियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नसबन्दी के उपरान्त पश्चात्‌वर्ती सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये भी "आशा" कार्यकत्रियों का हर सम्भव योगदान लिया जाये।
- आशा द्वारा लक्ष्य दम्पत्ति से भेंट के दौरान परिवार नियोजन विधि/उपाय पर चर्चा की जाए और दम्पत्ति को यथासमय सही विधि अपनाने के लिए परामर्श दिया जाए।
- जिला महिला चिकित्सालय तथा प्रथम सन्दर्भन इकाईयों पर तैनात आर.एम.एन.सी.एच.ए. परामर्शदाता द्वारा गर्भवती महिलाओं से भेंट के दौरान परिवार नियोजन विधि/उपाय पर चर्चा की जाए और दम्पत्ति को यथासमय प्रसव उपरान्त आई.यू.सी.डी./नसबन्दी अपनाने के लिए परामर्श दिया जाए।

5.3 निजी संस्थाओं की भागीदारी हेतु

निजी स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं स्टरलाइजेशन/आई0यू0सी0डी0 सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के उद्‌देश्य से निजी चिकित्सकों/निजी संस्थानों को भी मान्यता प्रदान की जा रही है। इसके लिए जारी पृथक शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5.4 <u>गुणवत्ता परक सेवाओं हेतु निर्देश</u>

- नसबन्दी शिविरों में गुणवत्तापरक सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नसबंदी सेवाओं हेतु मानक एवं गुणवत्ता आश्वासन, नवम्बर 2014 के दिशा–निर्देशों का शत्‌–प्रतिशत्‌ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।एक नसबन्दी शिविर में एक सर्जन टीम से अधिकतम्‌ 30 आपरेशन ही कराये जायें, यदि शिविर में अधिक लाभार्थियों के आने की सम्भावना है तो एक से अधिक सर्जन टीम की व्यवस्था की जाए। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी 16/17 जनवरी 2015 की कार्यशाला में उपलब्ध करायी

गयी महिला नसबन्दी हेतु सन्दर्भ पुस्तिका, नवम्बर, 2014 तथा नसबन्दी सेवाओं हेतु मानक एवं गुणवत्ता आश्वासन, नवम्बर, 2014 के मानकों के अनुसार समस्त उपकरणों व औषधियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता तथा विसंक्रमण की पूर्ण व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। ये मानक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in के लिंक पर उपलब्ध है।

- परिवार नियोजन सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर आपकी अध्यक्षता में गठित "जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति" की नियमित बैठकें सुनिश्चित की जाएं।

5.5 <u>सम्बद्धता हेतु निर्देश</u>

भारत सरकार द्वारा नसबन्दी सेवाओं हेतु मानक एवं गुणवत्ता आश्वासन, नवम्बर, 2014 के मानकों के अनुसार सेवाप्रदाता चिकित्सकों का इम्पैनलमैण्ट सुनिश्चित किया जाये। तदानुसार मुख्य चिकितसाधिकारी द्वारा सम्बद्धता चिकित्सकों की सूची पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाए तथा सम्बद्धता चिकित्सकों को निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक–3) के अनुसार प्रमाण–पत्र भी दिया जाए। प्रशासनिक पदों पर कार्यरत प्रशिक्षित सेवाप्रदाताओं का इम्पैनलमैण्ट भी सुनिश्चित किया जाएं।

6. <u>कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं समीक्षा</u>

6.1 कार्यक्रम की भौतिक लक्ष्य पूर्ति का अनुश्रवण

- गुणवत्तापरक परिवार नियोजन सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवाप्रदातावार नसबंदी केसों का अनुश्रवण किया जाएगा। इस गतिविधि में जनपद, मंडल व राज्य प्रशिक्षकों (एन0एस0वी0, लैप्रोस्कोपिक व मिनी लैप) के साथ–साथ टेक्नीकल सपोर्ट यूनिट को भी सम्मिलित करते हुए नए प्रशिक्षित सेवाप्रदाताओं को फालोअप किया जाए।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से जनपद स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- समीक्षा में परिवार नियोजन हेतु आवश्यक समस्त आवश्यक संसाधनों यथा–उपलब्धता, औषधियॉ, मानव संसाधन आदि की भी गहन समीक्षा की जाए।
- जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक में भी परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

6.2 भुगतान स्थिति का अनुश्रवण (समस्त स्टेक होल्डर्स)

नसबन्दी सेवाओं की क्षतिपूर्ति धनराशि का वितरण पुनरीक्षित शासनादेश सं 1675(2)/पांच–9–2014–9(222)/14, दिनांक 13 दिसम्बर, 2014 के अनुसार सुनिश्चित करें।

6.3 परिवार नियोजन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु किसी भी प्रकार के सुझाव, समस्याओं तथा प्रतिमाह आख्या का प्रेषण निम्न ई–मेल पते पर किया जाएगा:–

Gope sl

fp2020.upnhm@gmail.comतथा
fpup2020.uptsu@gmail.com

7– जनपद स्तर पर सेवा केन्द्रवार व सेवाप्रदातावार परिवार नियोजन सेवाओं की समस्त विधियों की गहन समीक्षा प्रत्येक सप्ताह सुनिश्चित करते हुए सुधारात्मक कदम उठाये जाएं। आशा ही नही, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में जनपद में परिवार नियोजन कार्यक्रम में गति, लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ–साथ विभिन्न सेवाओं का उचित लाभ जनमानस को प्राप्त होगा।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–142(1)/पॉच–9–2015, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग ईकाई।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।

2५/11/२०१५

Gope sl

परिशिष्ट-1

फार्मेट ए:-

क्रम सं0	तिथि	महिलाकानाम एवं पता	जीवितबच्चों की सं0	यदिऔरबच्चेकरन चाहतीहैं। (हाँ / नहीं)	वर्तमानमेंकोईगर्भनिरोधकप्रयोगकररहीहैं (हाँ / नहीं)	यदिहाँ, तोकौनसागर्भनिरोधक	यदिनहीं, तोआपकोईगर्भनिरोधकप्रयोगकरनाचाहतीहैं(हाँ / नहीं)	यदिहाँ, तोकौनसागर्भनिरोधकप्रयोगकरनाचाहेंगी।	आशाका नाम	हस्ताक्षर

ALLOCATON OF FAMILY PLANNING BUDGET TO DISTRICTS FOR YEAR 2014-15

Sterilization Services-Camps & Compensation

Sl.No	District	Blocks	Female sterilization camps- No. of Camps proposed in PIP 2014-15 by District	Budget Per District-@Rs 2000/-per Female Sterilization Camps In (Rs)	Male Sterilization/ NSV camps- No.of Camps proposed in PIP2014-15 by District	Budget Per District- @ Rs 3500/- per NSV/Male Sterilization Camps In (Rs)	Compensation for female sterilization- (workload proposed in PIP2014-15 by District) by Private Sector@Rs. 1500	Compensation for female sterilization- (workload proposed in PIP2014-15 by District) by Public Sector@Rs. 1000	Budget Per District @ Rs. 1000/- per Female Sterilization In (Rs)	Compensation for male sterilization /NSV (Work load proposed in PIP2014-15 by District)	Budget Per District- @ Rs.1500/- Per NSV CasesIn (Rs)	Additional support of POL for Family Planning@ Rs.1000/- Per Female Sterilization Camps	Total Budget Allocated for POL for Family Planning@ Rs.1000/- Per Female Sterilization Camps
	FMR Code		A.3.1.1		A.3.1.2			A.3.1.3		A.3.1.4		A.3.3	
	Quantity/ Budget Approved by GoI (In Lakhs)	820	13,150	263.00	667	23.35	26000	5,44,884	5448.84	16,262	243.93	13,151	131.51
1	Agra	15	300	6.00	36	1.26	2500	10200	102.00	1069	16.04	300	3.00
2	Firozabad	9	288	5.76	4	0.14		6613	66.13	28	0.42	288	2.88
3	Mainpuri	9	153	3.06	2	0.07		4887	48.87	26	0.39	153	1.53
4	Mathura	10	170	3.40	10	0.35	500	11475	114.75	120	1.80	170	1.70
5	Allahabad	20	340	6.80	20	0.7	1000	14852	148.52	1440	21.60	340	3.40
6	Fathepur	13	156	3.12	8	0.28		7003	70.03	40	0.60	156	1.56
7	Kaushambi	8	136	2.72	6	0.21	1000	2923	29.23	326	4.88	136	1.36
8	Pratapgarh	17	289	5.78	40	1.4	400	7742	77.42	300	4.50	289	2.89
9	Aligarh	12	192	3.84	6	0.21	1000	7795	77.95	1000	15.00	192	1.92
10	Etah	8	136	2.72	4	0.14	500	4185	41.85	28	0.42	136	1.36
11	Hathras	7	126	2.52	2	0.07		3780	37.80	385	5.78	126	1.26
12	Kashganj	7	84	1.68	2	0.07		3826	38.26	50	0.75	84	0.84
13	Azamgarh	22	320	6.40	4	0.14		12280	122.80	30	0.45	320	3.20
14	Ballia	17	290	5.80	2	0.07	500	8025	80.25	50	0.75	290	2.90
15	Mau	9	153	3.06	2	0.07	50	5768	57.68	48	0.72	153	1.53

(2)

16	Baudan	15	211	4.22	5	0.18	250	3296	82.96	40	0.60	211	2.11
17	Bareilly	15	255	5.10	24	0.84	3563	7314	73.14	1000	15.00	255	2.55
18	Pilibhit	7	126	2.52	1	0.035	500	4889	48.89	30	0.45	126	1.26
19	Shajhanpu	15	120	2.40	4	0.14		7986	79.86	20	0.30	120	1.20
20	Basti	14	224	4.48	8	0.28	110	6436	64.36	80	1.20	224	2.24
21	Sant Kab. I	9	84	1.68	9	0.315		4470	44.70	90	1.35	84	0.84
22	Siddarth N	14	189	3.78	6	0.21	50	6682	66.82	60	0.90	189	1.89
23	Banda	8	160	3.20	6	0.21		4786	47.86	30	0.45	160	1.60
24	Chitrakoot	5	102	2.04	6	0.21		4638	46.38	30	0.45	102	1.02
25	Hamirpur	7	126	2.52	10	0.35		2937	29.37	125	1.88	126	1.26
26	Mahoba	4	180	3.60	2	0.07		4140	41.40	20	0.30	180	1.80
27	Bahrich	14	140	2.80	2	0.07		9252	92.52	30	0.45	140	1.40
28	Balrampur	9	180	3.60	4	0.14		5144	51.44	572	8.58	180	1.80
29	Gonda	16	242	4.84	4	0.14		9126	91.26	50	0.75	242	2.42
30	Shrawasti	5	100	2.00	2	0.07		2966	29.66	25	0.38	100	1.00
31	Ambd. Nag	9	108	2.16	1	0.04		6380	63.80	50	0.75	108	1.08
32	Amethi	13	176	3.52	2	0.07		6011	60.11	10	0.15	176	1.76
33	Barabanki	15	252	5.04	2	0.07		8666	86.66	30	0.45	252	2.52
34	Faizabad	11	156	3.12	6	0.21		6566	65.66	68	1.02	156	1.56
35	Sultanpur	13	168	3.36	2	0.07		6554	65.54	25	0.38	168	1.68
36	Deoria	16	260	5.20	3	0.105		8242	82.42	15	0.23	260	2.60
37	Gorakhpur	19	304	6.08	6	0.21	750	11881	118.81	351	5.27	304	3.04
38	Kushinagar	14	210	4.20	4	0.14	100	9321	93.21	75	1.13	210	2.10
39	Maharajga	12	168	3.36	6	0.21	200	8350	83.50	90	1.35	168	1.68
40	Jalaun	9	152	3.04	3	0.11	50	4394	43.94	20	0.30	152	1.52
41	Jhansi	8	384	7.68	6	0.21	50	10150	101.50	30	0.45	384	3.84
42	Lalitpur	6	102	2.04	2	0.07		5709	57.09	26	0.39	102	1.02
43	Auriaya	7	112	2.24	2	0.07		3650	36.50	10	0.15	112	1.12
44	Etawh	8	148	2.96	4	0.14	50	4150	41.50	30	0.45	148	1.48
45	Farrukhab	7	84	1.68	12	0.42	250	4770	47.70	120	1.80	84	0.84
46	Kannauj	8	96	1.92	48	1.68		3969	39.69	452	6.78	96	0.96
47	Knp. Dehat	10	100	2.00	10	0.35		4774	47.74	50	0.75	100	1.00
48	Knp. Nagar	10	180	3.60	72	2.52	1527	9637	96.37	1000	15.00	180	1.80
49	Hardoi	19	323	6.46	6	0.21	500	10323	103.23	60	0.90	323	3.23

(3)

50	Kheri	15	360	7.20	10	0.35		9608	96.08	1067	16.01	360	3.60
51	Lucknow	8	144	2.88	2	0.07	1600	9313	93.13	1292	19.38	144	1.44
52	Raebareli	18	255	5.10	4	0.14		6549	65.49	25	0.38	255	2.55
53	Sitapur	19	354	7.08	4	0.14	300	12039	120.39	29	0.44	354	3.54
54	Unnao	16	272	5.44	4	0.14		8274	82.74	40	0.60	272	2.72
55	Baghpat	6	72	1.44	3	0.11		3464	34.64	16	0.24	72	0.72
56	Bulandsha	16	160	3.20	20	0.7		8906	89.06	400	6.00	160	1.60
57	GB Nagar	4	48	0.96	4	0.14	50	4404	44.04	100	1.50	48	0.48
58	Gaziabad	4	48	0.96	24	0.84	50	8622	86.22	964	14.46	48	0.48
59	Hapur	4	60	1.20	5	0.18	50	3392	33.92	200	3.00	60	0.60
60	Meerut	12	120	2.40	4	0.14	400	8770	87.70	200	3.00	120	1.20
61	Amorha	6	108	2.16	4	0.14	200	4691	46.91	50	0.75	108	1.08
62	Bijnor	11	132	2.64	4	0.14	250	9550	95.50	50	0.75	132	1.32
63	Moradaba	8	144	2.88	4	0.14	100	8218	82.18	500	7.50	144	1.44
64	Rampur	6	108	2.16	2	0.07	100	6112	61.12	26	0.39	108	1.08
65	Shmbhal	8	150	3.00	4	0.14	300	5603	56.03	50	0.75	150	1.50
66	Muzaffarn	9	108	2.16	4	0.14	200	7214	72.14	42	0.63	108	1.08
67	Saharanpu	11	132	2.64	24	0.84		8664	86.64	550	8.25	132	1.32
68	Shamli	5	80	1.60	3	0.11		3540	35.40	40	0.60	80	0.80
69	Chandoli	9	90	1.80	16	0.56		11430	114.30	176	2.64	90	0.90
70	Ghazipur	16	262	5.24	10	0.35	200	12099	120.99	100	1.50	262	2.62
71	Jaunpur	21	200	4.00	4	0.14	2000	11906	119.06	20	0.30	200	2.00
72	Varanasi	8	312	6.24	40	1.4	4000	14396	143.96	400	6.00	312	3.12
73	Bhadoi	6	36	0.72	4	0.14		4134	41.34	30	0.45	36	0.36
74	Mirzapur	12	204	4.08	2	0.07	500	11826	118.26	30	0.45	204	2.04
75	Sonebhadı	8	136	2.72	20	0.7	300	8247	82.47	212	3.18	136	1.36
	Total	820	13,150	263.00	667	23.35	26000	544,884	5448.84	16,262	243.93	13,150	131.50

सम्बद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है, डॉ0 (श्री/श्रीमती)..

रजिस्ट्रेशन संख्याः–..

तैनाती का स्थानः–..

स्थायी पताः–..

....को लैप्रोस्कोपिक महिला नसबन्दी/मिनि लैप महिला नसबन्दी/पुरूष नसबन्दी(N.S.B) की सेवाओं हेतु जिला स्वास्थ्य समिति–..............................जनपद में सम्बद्ध किया जाता है।

सम्बद्धता की तिथिः

सम्बद्धता का जिलाः

सम्बद्धता की संख्याः

जिलाधिकारी

मुख्य चिकितसाधिकारी